सिरगिट्टी गोदाम, बिलासपुर बीमा

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है। निगम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत संस्था है। निगम में विदेशी मदिरा के विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों के विदेशी मदिरा का संग्रहण गोदामों में किया जाता है।

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, के सिरगिट्टी गोदाम, बिलासपुर में संग्रहित विदेशी मदिरा का बीमा कराया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	बीमा का प्रकार	संपत्ति का प्रकार
1	Standard Fire & Special Perils	Stock Of liquor (45 Crore) Building – 8.8 crore
2	Burglary Policy	Stock Of liquor (45 Crore)
बीमा अवधि (दिनांक 13/07/2026 से 12/07/2027)		

बीमा निविदा की शर्ते :–

1/ निगम के सिरंगिट्टी गोदाम, बिलासपुर में 03 बड़े (45 Meters x 22 Meters) व गोदाम में 01 कार्यालयीन भवन (04 कक्ष एवं 01 हॉल) एवं पृथक से शौचालय, सुरक्षा कर्मियों हेतु कक्ष भी निर्मित है।

2/ गोदाम, कार्यालयीन भवन एवं सामग्री में किसी भी प्रकार की चोरी, आगजनी एवं प्राकृतिक आपदा (तूफान, भूंकप, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली इत्यादि) एवं दंगा–फसाद के जोखिम को वहन करने वाला बीमा होगा।

3/ गोदाम में संग्रहित विदेशी मदिरा के मूल्य में कमी व वृद्धि हो सकती है।

4/ बीमा कंपनियों/कार्पोरेशन का जी0एस0टी0 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन की छायाप्रति संलग्न किया जावेगा।

5/ निगम में बीमा हेतु इच्छुक बीमा कंपनियों/कार्पोरेशन का IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority of India) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसके सत्यापन में प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

6/ निगम में बीमा हेतु इच्छुक बीमा कंपनियों/कार्पोरेशन का छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी/अस्थायी कार्यालय का होना अनिवार्य है। इस संबंध में प्रमाण पत्र कंपनी के लेटर हेड में प्रस्तुत करें।

7/ बीमा कंपनी/कार्पोरेशन को भारत में बीमा व्यवसाय में कम से कम 10 वर्षो से कार्यरत होना चाहिए। इस संबंध में प्रमाण पत्र कंपनी के लेटर हेड में प्रस्तुत करें।

8/ बीमा कंपनिया/कार्पोरेशन का विगत 03 वर्षों में औसत टर्न ओवर 40 लाख़ रुपये से अधिक होनी चाहिए। तत्संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9/ निविदाकार के द्वारा शासकीय/अर्धशासकीय/निगम मंडल में विगत 10 वर्षो में किये गए बीमा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टांप पेपर में नोटरी कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा।

10/ बीमा कंपनी /कार्पोरेशन द्वारा कम से कम 05 ऐसे ग्राहको को बीमा प्रदान किया गया हो जहां प्रत्येक के लिए बीमा कवर (बीमित राशि) 50 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तथा कम से कम 05 ऐसे ग्राहको को बीमा प्रदान किया गया हो जहां प्रत्येक के लिए वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि 10 लाख से अधिक हो, तत्संबध में शपथ पत्र 100 रुपये के स्टांप पेपर में नोटरी कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा।

11/ बीमा कंपनी/कार्पोरेशन द्वारा विगत 03 वर्षो के दावा निपटान अनुपात (Claim Settlement Ratio) 90% से अधिक होने चाहिए। तत्संबध में 100 रुपये के स्टांप पेपर में शपथ पत्र नोटरी कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा।

12/ बीमा कंपनी/कार्पोरेशन यदि कोई भी शासकीय संस्था या शासकीय उपक्रमों के काली सूची में पंजीबद्ध है, वह इस निगम के निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र होंगे। तत्संबध में 100 रुपये के स्टांप पेपर में शपथ पत्र नोटरी कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा।

13/ निगम के संपूर्ण गोदामों में फायर फाईटिंग सिस्टम, सी.सी.टी.वी. कैमरे, डी.जी. सेट, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य कार्यालयीन सामग्री स्थापित है, तद्नुसार बीमा राशि प्रस्तुत किया जावे।

14/ बीमा पॉलिसी में दी गई शर्तों के तहत गोदाम में संग्रहित विदेशी मदिरा के क्षति होने की स्थिति में बीमा कंपनी से विदेशी मदिरा की क्रय लागत का बीमा दावा किया जावेगा।

15/ किसी भी क्षति प्रकरण में बीमा दावा हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उसकी सूचि/प्रपत्र सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

16/ गोदाम भवन या कार्यालयीन भवन के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त दिनांक को लागू लोक निर्माण विभाग के एस.ओ.आर. (S.O.R.) से बीमा दावा किया जावेगा।

17/ गोदाम का बीमा 01 वर्ष (दिनांक 13/07/2026 से 12/07/2027 तक) के लिए होगा। सेवा के संतोषप्रद होने पर ही आगामी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण संबंधित बीमा कंपनी से कराया जा सकता है, जो कि वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त 02 वर्षों के लिए की जा सकेगी।

18/ बीमा की देय राशि जी.एस.टी. एवं समस्त कर सहित प्रस्तुत किया जावेगा। एवं बीमा (Standard Fire & Special Perils + Burglary Policy) के प्रस्तुत दर को जोड़कर न्यूनतम दर निर्धारित किया जावेगा।

19/ निविदा की नियम शर्तो के अनुसार निविदाकर्ता द्वारा संलग्न किये गए दस्तावेजो की सूचि अनुक्रमणिका (Index) बनाकर प्रस्तुत किया जाना होगा।

20/ सभी मामलों में न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।

21/ किसी भी बीमा निविदा को मान्य/अमान्य करने का एकाधिकार निगम अर्थात सी.एस. बी.सी.एल. के पास सुरक्षित रहेगा।

22/ निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सी.एस.बी.सी.एल. के पास सुरक्षित रहेगा।

23/ उपरोक्त उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य नियम/शर्ते जेम पोर्टल एवं GFR शर्तों के अनुसार होगा।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

30/6/25

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

1. Details of all assets to be covered-

क्र	बीमा का प्रकार	संपत्ति का प्रकार
1	Standard Fire & Special Perils **(Goods of Hazardous Category II)**	Stock Of liquor (45 Crore) Building – 8.8 crore
2	Burglary Policy	Stock Of liquor (45 Crore)
बीमा अवधि (दिनांक 13/07/2026 से 12/07/2027)		

Address :- CSBC, Sirgitti Industrial Area, Sector B, Bilaspur, Distt.- Bilaspur Pin- 495001 (C.G.)

2. Additional Covers or Risk Coverage – As per ATC.
3. 'Insurance Excess' – As per IRDA Guidelines.
4. The Deductible- NA
5. Risk Assessment Reports of the assets- NA
6. Previous Claim Settlement Details -

Policy Year	No. of Claims raised	No. of claims settled	Claim Settlement Ratio	Total amt. of claims raised (INR)	Total amt. of claims Settled (INR)
Year-1	0	0	0	0	0
Year-2	0	0	0	0	0
Year-3	0	0	0	0	0

7. The current Premium being paid - Rs. **4,08,010.00**

बीमा कंपनी का नाम :–..

क्र.	जमा किये गये निविदा दस्तावेज	प्रस्तुत किया गया (हॉ/नहीं)	पृष्ठ क्रमांक
1	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।		
2	IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority of India) में जीवित पंजीयन के सत्यापन में प्रमाण–पत्र।		
3	छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी/अस्थायी कार्यालय होने के संबंध में कंपनी के लेटर हेड में प्रमाण पत्र।		
4	बीमा कंपनी/कार्पोरेशन को भारत में बीमा व्यवसाय में कम से कम 10 वर्षों से कार्यरत होने संबंध में कंपनी के लेटर हेड में प्रमाण पत्र।		
5	विगत 03 वर्षों में औसत टर्न ओवर 40 लाख रुपये से अधिक होने के संबंध में प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति।		
6	शासकीय/अर्धशासकीय/निगम मंडल में विगत 10 वर्षो में किये गए बीमा कार्य के संबंध में 100 रुपये के स्टांप पेपर में नोटरी कराकर घोषणा पत्र।		
7	बीमा कंपनी द्वारा कम से कम 05 ऐसे ग्राहको को बीमा प्रदान किया गया हो जहां प्रत्येक के लिए बीमा कवर (बीमित राशि) 50 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तथा कम से कम 05 ऐसे ग्राहको को बीमा प्रदान किया गया हो जहां प्रत्येक के लिए वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि 10 लाख से अधिक हो, तत्संबध में 100 रुपये के स्टांप पेपर में नोटरी कराकर शपथ पत्र।		
8	विगत 03 वर्षो के दावा निपटान अनुपात (Claim Settlement Ratio) 90% से अधिक होने के संबंध में 100 रुपये के स्टांप पेपर में नोटरी कराकर शपथ पत्र।		
9	निविदाकर्ता कोई भी शासकीय संस्था या शासकीय उपक्रमों के काली सूची में पंजीबद्ध है, वह इस निगम के निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र होंगे। तत्संबध में 100 रुपये के स्टांप पेपर में नोटरी कराकर शपथ पत्र।		